



The Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation Limited
(Transfer of Assets and Liabilities) Act, 2018

Act 34 of 2018

Keyword(s):

Appointed Date, Corporation, Government Notification

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 सितम्बर, 2018

भाद्रपद 19, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1900/79-वि-1-18-1(क)-12-18

लखनऊ, 10 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) विधेयक, 2018 पर दिनांक 7 सितम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

(आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण)

अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य सरकार की पूर्णतः स्वामित्वाधीन कम्पनी है, की सम्पत्तियों, शक्तियों, कृत्यों, दायित्वों, आस्तियों, कर्तव्यों और कार्मिकों को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3 के

अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अन्तरित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) अधिनियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 27 जून, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं

2-जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(एक) "नियत दिनांक" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से है;

(दो) "प्राधिकरण" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से है;

(तीन) "निगम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड से है, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य सरकार की पूर्णतः स्वामित्वाधीन कम्पनी है;

(चार) "सरकारी अधिसूचना" का तात्पर्य अधिसूचना संख्या 141/77-4-2001-267 भा-97 टी0सी0-1, दिनांक 05 सितम्बर, 2001 से है, जो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन जारी की गयी है;

(पांच) "अनुसूची" का तात्पर्य सरकारी अधिसूचना की अनुसूची से है।

निगम की
आस्तियों एवं
दायित्वों का
अन्तरण

3-(1) नियत दिनांक को और उसी दिनांक से:-

(क) समस्त सम्पत्तियों और समस्त हित, अधिकार तथा सकल व्यापार, जंगम और स्थावर सम्पत्तियों सहित सम्पत्तियां सभी प्रकार के विनिधान पट्टा, पट्टा करार, किराया क्रय संविदाएं, समस्त लाभ, प्रतिभूति व्यवस्था, शक्तियों, आवंटन, प्रत्यावर्तन, अन्तरण, अन्तरण दस्तावेज, अनुदान, सहमति, प्रसंविदा, रजिस्ट्रीकरण, संविदाएं, लाइसेंस अधिकार, स्वामित्व, किसी प्रकार का लाभ, जिसे निगम, जहाँ भी स्थित हो, के पक्ष में अवमुक्त किया गया हो और निगम के स्वामित्व, कर, अधिकार, नियंत्रण और अन्य रूप में उसमें निहित हों, निगम द्वारा उपयोग किये गये अधिभार, चाहे निगम की बही में प्रविष्टि किये गये हों या न किये गये हों, किन्तु उपर्युक्त वाणिज्यिक नामों तक सीमित न हों, किसी प्रकार की अकादमिक सम्पत्ति, मंजूरी, अनुषक्ति, विद्युत और अन्य सामान्य उपयोग, टेलीफोन, फैक्स, कार तथा मोटरयान, इण्टरनेट स्कीम का अधिकार और समझौते पर उपयोग करने का अधिकार, सभी प्रकार की प्रसंविदा का लाभ और अन्य हित, जिन्हें सामूहिक रूप से निगम की सम्पत्ति कहा जाता है, पूर्ण स्वामित्वों, बंधकों, गिरवी, आडमान आदि के वर्तमान प्रास्थिति के अधीन प्राधिकरण में अन्तरित और निहित समझे जायेंगे;

(ख) औद्योगिक विकास क्षेत्र से संबंधित दायित्वों तथा बाध्यताओं सहित निगम के समस्त ऋण, दायित्व जो सम्मिलित रूप से निगम के दायित्व कहे गये हैं, चाहे निगम की बही में प्रविष्टि किये गये हों या न किये गये हों, सम्पत्तियाँ, निधियाँ और आधिक्य किसी अन्य दस्तावेज के बिना प्राधिकरण

को अन्तरित किये गये और उसमें निहित किये गये समझे जायेंगे, जिसके परिणामस्वरूप वे प्राधिकरण के ऋण, दायित्व, कर्तव्य, बाध्यताएं, सम्पत्तियाँ और आधिक्य हो जायेंगे। यदि आवश्यक हो तो, निगम को संबंधित ऋणी व्यक्तियों से ऐसे दायित्वों के अन्तरण की सहमति प्राप्त करनी होगी और ऐसी सम्पत्तियों और दायित्वों के अन्तरण के पश्चात् प्राधिकरण को अवसंरचना विकास और औद्योगिक प्रोन्नयन की योजनाओं, भारत सरकार और राज्य सरकार की समस्त योजनाओं, जिन्हें निगम संचालित कर रहा हो, के कार्यों तथा राज्य सरकार द्वारा समनुदेशित अन्य विकास संबंधी कार्यों का दायित्व भी ग्रहण करना होगा और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अधीन उसमें निहित कृत्यों, उत्तरदायित्वों और दायित्वों को ग्रहण करना होगा।

(2) निगम की सभी सम्पत्तियों और दायित्वों के अन्तरण के परिणामस्वरूप निगम सेल कम्पनी बनी रहेगी, जिसके दायित्व सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी अंशपूँजी और निगम द्वारा अर्जित लाभ, संचित निधि के रूप में हो जायेंगे और इसका संदाय प्राधिकरण को निगम के परिसमाप्त होने तक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में किया जायेगा। यह धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को "आरम्भ पूँजी" या "चल निधि" के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी और संचित निधि की धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को आरक्षित पूँजी के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका अन्तरण केवल शासनादेश द्वारा किया जायेगा;

(3) निगम द्वारा राज्य सरकार को किये जाने वाले समस्त भुगतान प्राधिकरण द्वारा किये जाते रहेंगे और सरकारी ऋणों/ प्रत्याभूतियों पर संदेय समस्त ब्याज/मूल धनराशि का समय से भुगतान प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा;

(4) अनुसूची में उल्लिखित औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों के संबंध में निगम द्वारा या उसके विरुद्ध लम्बित या दाखिल किये गये समस्त वाद, कार्यवाहियाँ या रिट, प्राधिकरण के पक्ष में लम्बित या उसके द्वारा या उसके विरुद्ध दाखिल किये गये समझे जायेंगे;

(5) निगम की सम्पत्तियों और दायित्वों के अन्तरण के कारण उसके प्रतिफल का अवधारण, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा नियत दिनांक को निगम की लेखा बही में उल्लिखित मूल्य के आधार पर किया जायेगा।

4-(1) नियत दिनांक को और उसी दिनांक से, निगम के समस्त कर्मचारी, सेवा अवधि में किसी व्यवधान के बिना प्राधिकरण के कर्मचारी हो जायेंगे और ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तें, निगम में नियत दिनांक को लागू सेवा शर्तों की अपेक्षा किसी भी स्थिति में कम अनुकूल नहीं होंगी। निगम के कर्मचारियों के पदों और नाम पद्धति का अवधारण प्राधिकरण द्वारा सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जायेगा।

कर्मचारियों का
अन्तरण

(2) निगम के कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए सृजित भविष्य निधि, उपदान और अवकाश नगदीकरण के संबंध में एतद्वारा यह स्पष्ट रूप से उपबंध किया जाता है कि समस्त उद्देश्यों और कार्यों के लिए प्राधिकरण, निगम को नियत दिनांक से प्रतिस्थापित कर देगा, जिससे कि न्यास विलेखों के उपबन्धों के अधीन ऐसी योजनाओं और निधियों का संचालन और प्रबन्धन का निस्तारण समुचित रूप से किया जाय। अन्ततः इसका यह अर्थ है कि इन निधियों से संबंधित समस्त अधिकार, कर्तव्य, शक्तियाँ और दायित्व आदि प्राधिकरण में निहित हो जाएंगे। एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि निगम के समस्त कर्मचारियों की सेवाएं, उपर्युक्त निधियों, योजनाओं आदि के नियमों के अधीन अविरत जारी समझी जाएंगी।

स्टाम्प शुल्क से छूट

5-उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की आस्तियों और दायित्वों का अन्तरण उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में किये जाने के लिए स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट रहेगी।

नियम बनाने की शक्ति

6-राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

कठिनाइयों दूर करने की शक्ति

7-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो, राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसा उपबन्ध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) नियत दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और अपवाद

8-(1) उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) अध्यादेश, 2018 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 8
सन् 2018

उद्देश्य और कारण

एकीकृत विकास योजना बनाने और भूमि विकास, जनसंख्या, भवन निर्माण के मानकों को नियत करने सम्बन्धी नियमावली को प्रवर्तित करने और राज्य के औद्योगिक अयस्कों के विकास और उन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत राज्य सरकार की पूर्णतः स्वामित्वाधीन कम्पनी है, की सम्पत्तियों, शक्तियों, कृत्यों, दायित्वों, आस्तियों, कर्तव्यों और कार्मिकों को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अंतरित करने हेतु उपबन्ध करने के लिए विधि बनाने का विनिश्चय किया गया है।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 जून, 2018 को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2018) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 1900 (2)/LXXIX-V-1-18-1(ka)-12-18

Dated Lucknow, September 10, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Audyogik Vikas Nigam Limited (Astiyon Evam Dayityon Ka Antaran) Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 34 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 7, 2018.

THE UTTAR PRADESH STATE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (TRANSFER OF ASSETS AND LIABILITIES) ACT, 2018

[U.P. ACT no. 34 OF 2018]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the transfer of properties, powers, functions, liabilities, assets, duties and personnel of the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation Limited which is a wholly State Government owned Company registered under the Companies Act, 1956 to the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority constituted under section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 and the matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-ninth Year of the Republic of India at follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation Limited (Transfer of Assets and Liabilities) Act, 2018.

Short title, extent and commencement

(2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on June 27, 2018.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-

Definitions

(i) "appointed date" means the date of commencement of this Act;

(ii) "Authority" means the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority constituted by the State Government;

(iii) "Corporation" means the Uttar Pradesh Industrial Development Corporation Limited which is a wholly State Government owned Company registered under the Companies Act, 1956;

(iv) "Government notification" means notification no. 141/77-4-2001-267 Bha/97 TC-1, dated September 5, 2001 issued under the provisions of the Uttar Pradesh State Industrial Area Development Act, 1976 by the State Government to constitute the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority;

(v) "Schedule" means the Schedule to the Government notification.

3. (1) On and from the appointed date,-

Transfer of Assets and Liabilities of Corporation

(a) all properties and all interest, rights and properties including gross business, movable and immovable properties, all kinds of investment, lease, lease agreements, hire purchase contracts, all profits, security arrangements, powers, allotments, restorations, transfer, transfer documents grants, consents, covenant, registration, contracts, license rights, ownerships, profits of any kind which is relieved in favour of the Corporation wherever situated, and vests in favour of the Corporation in the form of ownership, taxes, rights, control and otherwise of the Corporation, utilization of surcharges etc. by the Corporation whether entered in the books of Corporation or not, but not confining to the above commercial names, any kind of academic properties, sanctions, adherences, right to use electricity and other general utilities, telephones, faxes,

cars and motor vehicles, internet schemes and right to use on settlement, profit of covenant of all kind and other interests which are collectively called as the property of the Corporation shall be deemed to be transferred to, and vested in the Authority under the present status of complete ownerships, mortgages, pledges, hypothecation *etc.* ;

(b) all debts, liabilities of Corporation including liabilities and obligations relating to Industrial Development Area, which collectively will be called as the liabilities of the Corporation whether entered in the books of the Corporation or not, properties, funds and excesses shall be deemed to be transferred to, and vested in the Authority without any other document, consequent upon which, they shall become debts, liabilities, duties, obligations, properties and excesses of the Authority. If necessary, the Corporation shall obtain the consent of the debtors concerned for the transfer of such liabilities and Authority shall, after transfer of such properties and liabilities also undertake the works of schemes of infrastructure development and industrial promotions undertaken by the Corporation, all plans of the Government of India and State Government which the Corporation is conducting and other development works assigned by the State Government and shall undertake the functions, responsibilities, liabilities vested in it under the provisions of Uttar Pradesh State Industrial Area Development Act, 1976.

(2) Consequent upon the transfer of all properties and liabilities of the Corporation, the Corporation shall remain as a shell company, the liabilities of which shall become the share capital made available by the Government and the profit earned by the Corporation as an accumulated fund and this shall be paid to the Authority as the interest free loan till the winding up of the Corporation. This amount shall be made available to the Authority by the State Government as the "Seed Capital" or "Rolling Fund" and the amount of Accumulated Fund shall be made available by it to the Authority as the capital reserve, the transfer of which shall be made by a Government Order only.

(3) All payments to be made to the State Government by the Corporation shall be continued to be made by the Authority and timely payment of all the interest/principal amounts payable on the Government loans/guarantees shall be ensured by the Authority;

(4) With respect to the Industrial Development Areas of the Authority mentioned in the Schedule all cases, proceedings, or writs pending or filed by or against the Corporation shall be deemed to be pending in favour of, or filed by or against, the Authority;

(5) The consideration of the Corporation on account of the transfer of its properties and liabilities shall be determined on the basis of the value mentioned in the account books of the Corporation on the appointed date by the Chartered Accountant.

Transfer of
employees

4. (1) On and from the appointed date, all the employees of the Corporation shall become employees of the Authority without any break in service period and the condition of service of such employees shall not in any case be less favourable than the conditions of service in the Corporation applicable on the appointed date. The posts and the nomenclature of the employees of Authority for the posts and nomenclature of the employees of Corporation shall be determined by the Authority with the prior approval of the State Government.

(2) It is hereby expressly provided with respect to the Provident Fund, Gratuity, Leave Encashment *etc.* created for the benefit of the employees of the Corporation that for all objectives and works, the Authority shall replace the Corporation from the appointed date, so that the operations and management of such

schemes and funds, the liabilities of subscriber under the provisions of the trust deed shall be discharged properly. Lastly, it is construed that all the rights, duties, powers and liabilities with respect to these funds *etc.* shall vest in the Authority. It is hereby clarified that the services of all the employees of the Corporation shall be deemed to be continued uninterruptedly under the rules of above funds, schemes *etc.*

5. Payment of stamp duty shall be exempted for transferring the assets and liabilities of the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation to the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority.

Exemption of stamp duty

6. The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make rule

7. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by a notified Order, make such provision, not in-consistent with the provisions of this Act as appear to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Power to remove difficulties

(2) No Order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the appointed date.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, after it is made, before each House of the State Legislature.

U.P. Ordinance no. 8 of 2018

8. (1) The Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation Limited (Transfer of Assets and Liabilities) Ordinance, 2018 is hereby repealed.

Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to making integrated development plan and enforcing rules relating to fixing of the standards of land development, population, construction of buildings, to ensure development of Industrial areas of the State and effective control thereon it has been decided to make a law to provide for the transfer of properties, powers, function, liabilities, assets, duties and personnel of the Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation Limited which is a wholly State Government owned company, registered under the Companies Act, 1956, to the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority constituted under section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decision. The Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation Limited (Transfer of assets and liabilities) Ordinance, 2018 (U.P. Ordinance no. 8 of 2018) was promulgated by the Governor on June 27, 2018.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 247 राजपत्र-(हिन्दी)-2018-(671)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 84 सा० विधायी-2018-(672)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

STATEMENT OF THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF THE CENSUS
FOR THE YEAR 1900

Faint, illegible text in the middle section of the page, likely bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.